संख्या– 461 / 37–1–2017

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1

लखनऊः दिनांक, 24 मार्च, 2017

विषयः– पशुवधशालाओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–330 / 2001 कामनकाज बनाम भारत संघ व अन्य, रिट याचिका (सी0) संख्या–44 / 2004, अवमानना याचिका (सिविल) 124 / 2015 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या–309 / 2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य को सम्बद्ध करते हुये पारित आदेश दिनांक 17.02.2017का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नगर विकास अनुभाग–8 के पत्र संख्या– 04भा0स0 / नौ–8–2016– 02सी0एस0 / 12, दिनांक 22 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न अनुसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (पशु कल्याण) भारत सरकार के पत्र संख्या–07 / 36 / 2015 ए.डब्ल्यू.डी. दिनांक 06.03.2017 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में पशुवधशालाओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–330 / 2001 कामनकाज बनाम भारत संघ व अन्य, रिट याचिका (सी0) संख्या–44 / 2004, अवमानना याचिका (सिविल) 124 / 2015 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या–309 / 2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य को सम्बद्ध करते हुये दिनांक 17.02.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये हैंः–

"Pursuant to our orders dated 26.09.2016 and 28.10.2016 a compendium of the Indian Standards has been prepared along with all relevant material in consultation with all the stake-holders. The Union of Indian is directed to print the compendium in sufficient numbers and circulate it to all the State Governments and Union Territories for compliance. The Union of India will comply with our orders within six weeks from today. In the event there is non-compliance with the Indian Standards, order rules and regulations, the petitioners are entitled to approach the concerned district collector or the judicial authorities, as the case may be in a given specific instance."

2– अतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के क्रम में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये compendium के Index की संलग्न प्रति में पशुधन विभाग से संबंधित अधिनियम / नियम में प्राविधानित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

3– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर पशुवधशाला एवं पशु परिवहन से संबंधित अधिनियमों/नियमों/मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिसके क्रम में जनपद में स्थित समस्त पशु वधशालाओं का पर्याप्त निरीक्षण एवं निरीक्षणोपरान्त कार्यवाही/अनुशंसा/ संस्तुति की स्थिति प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से संलग्न रूप–पत्र पर निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

4– यदि यह निरीक्षण जिला एस0पी0सी0ए0 के साथ किया जाता है तो उक्त निरीक्षण के क्रम में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी निदेशालय को संलग्न प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध करायेंगे। यदि संदर्भित माह में उपरोक्त समिति निरीक्षण नहीं करती है तो उस दशा में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग स्वयं निरीक्षण कर संलग्न प्रारूप में उल्लिखित विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायेंगे। इन आख्याओं के संकलन एवं संचयन हेतु निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग निदेशालय स्तर पर तत्काल नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 461 (1)/37–1–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः 5146 /सामा0–2/2016–17 दिनांकः 25.03.2017

प्रतिलिपि निम्न को प्रारूपों एवं संलग्नकों सहित दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. विशेष सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र

पशु वधशालाओं पर कार्यरत पशु चिकित्साविदों हेतु चेक प्वाइन्ट

प्रिवेन्शन आफ क्रूयल्टी टू एनीमल (स्लाटर हाउस) रूल्स 2001 के अनुसार पशु चिकित्साविदों को पशु वधशालाओं पर कार्य करते समय निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का संज्ञान रखना आवश्यक है:–

1. पशुवध किये जाने वाले स्थान का पंजीकरण होना आवश्यक है।
2. प्रदेश में गोवंश एवं उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. किसी भी गाभिन पशु का वध नहीं किया जायेगा।
4. ऐसे पशु का वध नहीं किया जायेगा, जिसके बच्चें की उम्र तीन माह से कम है।
5. किसी भी ऐसे पशु का वध नहीं किया जायेगा, जिसकी उम्र 3 माह से कम है।
6. वध से पूर्व प्रत्येक पशु का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य किया जाय।
7. वध किये जाने वाले पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण 24 घन्टे से पूर्व किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त वध योग्य पशुओं को एक स्थान (लैरेज) पर संरक्षित रखा जायेगा।
8. लैरेज में स्थान पर प्रति पशु 2.8 वर्ग मीटर (बड़े पशु) मानक मानकर पशुओं की संख्या का निर्धारण किया जायेगा।
9. लैरेज में पशुओं के पानी पीने की समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
10. लैरेज में पशुओं को धूप, वर्षा एवं शीत हवाओं से बचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. परीक्षण के दौरान वध योग्य अनुपयुक्त पशुओं को एक पृथक स्थान पर (आइसोलेशन पैन) पर संरक्षित रखा जायेगा। उक्त पशुओं की समुचित चिकित्सा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. वध योग्य पशुओं का फिटनेस प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना चाहिए।
13. प्रत्येक पशु चिकित्साविद् द्वारा एक घन्टे में मात्र 12 पशुओं का ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। अतएव प्रतिदिन 8 घन्टे की सेवा अवधि का आधार मानते हुए प्रतिदिन 96 पशुओं तक ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
14. वध से पूर्व पशुओं का भौतिक परीक्षण भी किया जायेगा, चूँकि स्वास्थ्य परीक्षण 24 घन्टें पूर्व किया गया था।

प्रारूप

पशुबधशालाओं के निरीक्षण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में निरीक्षण एवं कार्यान्वयन की स्थिति–

बधशाला का नाम–　　स्थान–　　जनपद–

निरीक्षण तिथि–

क0सं0	बिन्दु/नियम	कमियों का उल्लेख	कृत कार्यवाही
1	Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 [Relevant Sections: 3(p.3), 9(b)(p.6), Section 9(e)(p.6), 11(p.7,8) and 38(p.15,16)		
2	Transport of Animals Rules, 1978 (as amended in 2001 & 2009)		
3	Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules 2000		
2	Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001		
3	Performa for Ante and Port Mortem Fitness Certificates to be issued by the Veterinary Doctor after examining the animals before and after slaughter of animals as per Rule 4(3) of the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rule 2001 [Relevant documents: Letter from AWBI to Director/ Commissioner, Municipal Administration of all States and Union Territories, dated 17.10.2016(p.49): Letter from AWBI to CEO Food Safety & Standards Authority dated 17.10.2016 (p.50): Letter from FSSAI to all Central Licensing Authorities and Commissioners of Food Safety of all States/UTs (p.51)		
4	Draft Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Market) Rules 2016		
5	IS 8895: 2015 Handling Storage and Transport of Slaughter house by-products Guidelines (first revision)		
6	IS 1982: 2015 Ante Mortem and Post Mortem Inspection of Meat Animals-Code of Practice (Second Revision)		
7	IS 1982:2015 Basic Requirement of an Abattoir (Second Revision)		